न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 25/2016 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. श्री रूपेश जगत्यानी पुत्र श्री मनोहरलाल जगत्यानी (सिन्धी) विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता मैसर्स–झुलेलाल किराणा एवं प्रोविजन स्टोर रोकडिया गणेश मंदिर वाली गली, सारस्वत समाज के नोहरे के पास, संजय कोलोनी, भीलवाड़ा (राज.) स्थाई पता–मकान संख्या 20/170, सिंधु नगर, भीलवाड़ा (राज.) 2. श्री चेतन प्रकाश जगत्यानी पुत्र श्री मनोहर लाल जगत्यानी, मालिक मैसर्स–झुलेलाल किराणा एवं प्रोविजन स्टोर रोकडिया गणेश मंदिर वाली गली, सारस्वत समाज के नोहरे के पास, संजय कोलोनी, भीलवाड़ा (राज.) स्थाई पता–मकान संख्या 20/170, सिंधु नगर, भीलवाड़ा (राज.)
– प्रार्थी		**––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

दिनांक 05.04.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री रूपेश जगत्यानी पुत्र श्री मनोहरलाल

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

जगत्यानी विक्रेता मैसर्स झुलेलाल किराणा एवं प्रोविजन स्टोर रोकडिया गणेश मंदिर वाली गली, सारस्वत समाज के नोहरे के पास, संजय कोलोनी, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् मूंगफली तेल (ब्राण्ड – शुभ मंगल) के एक – एक लीटर की 30 बोतलें प्लास्टिक पैक रखी हुई थी। एक बोतल को ध्यान से देखने पर मूंगफली तेल (Brand – Shub Mangal) Batch No. Not Given, Pkd/Mfg. Date July. 2015, BEST BEFOR SIX MONTH FROM THE DATED OF PACKING Mfr./Pkr. – Kundan Edible Oil Industries, Near Byepass Road, Ganeshpura, Beawar - 305901 इत्यादि अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेकर खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को नियमानुसार भिजवाया गया । बाद जाँच नमूना सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, फर्म को क्रय बिल एवं खाद्य लाईसेंस प्रस्तुत करने बाबत प्रेषित पत्र एवं प्राप्त प्रति उत्तर मय खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.09. 2015 को समय 3:45 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स –झुलेलाल किराणा एवं प्रोविजन स्टोर रोकडिया गणेश मंदिर वाली गली, सारस्वत समाज के नोहरे के पास, संजय कोलोनी, भीलवाडा पर पहुचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत श्री रूपेश जगत्यानी पुत्र श्री मनोहरलाल जगत्यानी (सिन्धी) विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता उम्र 25 वर्ष ,जाति सिंन्धी, निवासी – मकान संख्या 20/170, सिंधु नगर, भीलवाड़ा (राज.) उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु घी, तेल, मसाले व अन्य किराणा सामान आदि आम जनता को विक्रय कर रहा था विक्रय करने हेतु अपने कब्जे में रखे हुए था। विक्रेता ने मौके पर बताया कि खाद्य लाईसेंस की प्रति मौके पर नही है।

मैसर्स –झुलेलाल किराणा एवं प्रोविजन स्टोर रोकडिया गणेश मंदिर वाली गली, सारस्वत समाज के नोहरे के पास, संजय कोलोनी, भीलवाडा का विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत मूंगफली तेल (ब्राण्ड – शुभ मंगल) के एक – एक लीटर की 30 बोतले प्लास्टिक पैक रखी हुई थी। एक बोतल को ध्यान से देखने पर मूंगफली तेल (Brand – Shub Mangal) Batch No. Not Given, Pkd/Mfg. Date July. 2015, BEST BEFOR SIX MONTH FROM THE DATED OF PACKING Mfr./Pkr. – Kundan Edible Oil Industries, Near Byepass Road, Ganeshpura, Beawar - 305901 इत्यादि अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म 5 A में दी एवं रसीद प्राप्त की।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में उपरोक्त वर्णित खाद्य मूगफली तेल ब्राण्ड शुभ मंगल की 1–1 लीटर के 4 बोतलें पैक्ड हालत में खरीदी एवं इस बाबत् 520/– रू. अक्षरे पांच सौ बीस रूपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की । इन खरीदशुदा चारों नमूना भागों के लिए लेबल नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक एक्स–968 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–968 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया । नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सीलड नमूना भागों पर विक्रेता श्री रूपेश जगत्यानी पुत्र श्री मनोहर लाल जगत्यानी के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सीलड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका पंचनामा तैयार कर पढ़कर, पढ़ाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों कों सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मोके पर पंचनामें पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। लिये गये खाद्य नमूना सख्यां एक्स 968 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. 659/एफएसएसए/ 2015/659 दिनांक 16.10.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, मूंगफली तेल ब्राण्ड शुभमंगल निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी संख्या 1 रूपेश जगत्यानी पुत्र श्री मनोहर लाल जगत्यानी विक्रेता मैसर्स झुलेलाल किराणा एवं प्रोविजन स्टोर, रोकडिया गणेश मंन्दिर वाली गली, सारस्वत समाज नोहरे के पास, संजय कोलोनी भीलवाडा, व विपक्षीगण 2 द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड मूंगफली तेल ब्राण्ड शुभमंगल का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 07.04.2016 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 07.04.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 10.05.2016 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 03.03.2017 को एक तरफा कार्यवाही की गयी।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं [illegible] जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा [illegible] अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मूंगफली तेल ब्राण्ड शुभमंगल सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्डड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मूंगफली तेल ब्राण्ड शुभमंगल के लेबल पर बेच न. अंकित नहीं था। नियमानुसार लेबल पर बेच नम्बर का अंकन होना चाहिए। लेबल पर बेच नम्बर अंकन नहीं होने के कारण विक्रेता द्वारा Food Safety and Standard (Packaging & lebeling) Regulatiojn, 2011 के रूल्स 2.2.2. (08) का उल्लगंन किया है। इसलिए लिया गया नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना मूंगफली तेल ब्राण्ड शुभमंगल मेंल Butyro – refractometer reading at 40 c 54.0 to 57.01 के बीच मे होनी चाहिए जबकि प्राप्त रिपोर्ट लिये गये नमूने में रिडिंग 57.02 पाई गई है। साथ ही लिये गये नमूने में Saponification Value 188.0 to 196.0 के बीच होनी चाहिए किन्तु लिये गये नमूने में यह रिडिंग 178.67 पायी गई है। इसलिए लिया गया नमूना निर्धारित मानक कोटी का नही होने के कारण सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। विपक्षीगणों द्वारा सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड मूंगफली तेल ब्राण्ड शुभमंगल विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षियों के विरूद्ध भारी जुर्माना राशि आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय किया जावे। विभागीय पैरोकार ने यह भी बताया कि खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. 659/एफएसएसए/ 2015/659 दिनांक 16.10.2015 के अनुसार विक्रेता से जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, मूंगफली तेल ब्राण्ड शुभमंगल मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड Substandard मिसब्राण्डेड MISBRANDED होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मूंगफली तेल ब्राण्ड शुभमंगल के के लेबल पर बेच न. अंकित नही था। नियमानुसार लेबल पर बेच नम्बर का अंकन होना चाहिए। लेबल पर बेच नम्बर अंकन नही होने के कारण विक्रेता द्वारा Food Safety and Standard (Packaging & lebeling) Regulatiojn, 2011 के रूल्स 2.2.2. (08) का उल्लघंन किया है। इसलिए लिया गया नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना मूंगफली तेल ब्राण्ड शुभमंगल मेंल Butyro – refractometer reading at 40 c 54.0 to 57.01 के बीच मे होनी चाहिए जबकि प्राप्त रिपोर्ट लिये गये नमूने में रिडिंग 57.02 पाई गई है। साथ ही लिये गये नमूने में Saponification Value 188.0 to 196.0 के बीच होनी चाहिए किन्तु लिये गये नमूने में यह रिडिंग 178.67 पायी गई है। इस लिए लिया गया नमूना निर्धारित मानक कोटी का नही होने के कारण सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। विपक्षीगणों द्वारा सबस्टेण्डर्ड (Substandard) एवं मिसब्राण्डेड (MISBRANDED) मूंगफली तेल ब्राण्ड शुभमंगल का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है , जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 व 52 मे निर्धारित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं [illegible] जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं नियम 2011 के प्रावधानों का विपक्षीगण संख्या 1 एवं 2 द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत विपक्षीगण संख्या 01 पर 30,000/—रूपये (अक्षरे तीस हजार रूपये) एवं विपक्षी सं. 02 पर 30,000/—रूपये (अक्षरे तीस हजार रूपये) कुल राशि 60,000/—रू. (अक्षरे साठ हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण संख्या 1 एवं 2 उपरोक्त शास्ति, निर्णय दिनांक से 3 माह के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें। उक्त अवधि में शास्ति राशि जमा नहीं कराने पर विहित अधिनियम की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुये रा.भू.रा. अधिनियम 1956 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण के विरूद्व वसूली कार्यवाही की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/04/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है—

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्री रूपेश जगत्यानी पुत्र श्री मनोहरलाल जगत्यानी (सिन्धी) विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता मैसर्स—झुलेलाल किराणा एवं प्रोविजन स्टोर रोकडियां गणेश मंदिर वाली गली, सारस्वत समाज के नोहरे के पास, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज.)
स्थाई पता—मकान संख्या 20/170, सिंधु नगर, भीलवाड़ा (राज.)
5 श्री चेतन प्रकाश जगत्यानी पुत्र श्री मनोहर लाल जगत्यानी, मालिक
मैसर्स—झुलेलाल किराणा एवं प्रोविजन स्टोर रोकडियां गणेश मंदिर वाली गली, सारस्वत समाज के नोहरे के पास, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज.)
स्थाई पता—मकान संख्या 20/170, सिंधु नगर, भीलवाड़ा (राज.)

15/04/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)